स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SKS/5/2017/STGMP/SEPROM/RU-III　　　　　　　　दिनांक: 27—03—2018

सिटिंग नोटिस

विषयः म.प्र.शासन के ऊर्जा विभाग की म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जातिगत के सहायक अभियंताओ को वर्ष 2012 से 2014 तक पदोन्नति का लाभ कथित रूप से जातिगत द्वेष, दुर्भावना से न देकर षडयंत्रपूर्वक प्रताड़ित करने की याचिका की सुनवाई माननीय आयोग के समक्ष कर न्याय दिलाने बाबत्– श्री एस. के सचदेव, म.प्र.विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ, जबलपुर (मध्य प्रदेश) दिनांक 18/08/2017 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 04—04—2018 को 12.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष—24615012

O I C

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल (मध्य प्रदेश)

2132
27/3/18

प्रतिलिपिः
श्री इंजी एस. के सचदेव, प्रांतीय महासचिव,म.प्र.विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ, एस. ओ. —04, म.प्र. रा.वि.मं. कालोनी, रामपुर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) कोड न. 482008